न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.10/प्रा.पत्र/2012 (GCMS No. 2012/00002)	01.03.2012	02.11.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मृतक हुसैन मोहम्मद आ. रमजानी जरिये कायम मुकाम
1. सून्या, 2. इब्राहीम पुत्र स्व. हुसैन मोहम्मद,
3. खातून, 4. सकीना पुत्रिया स्व. हुसैन मोहम्मद,
5. रमजी बाई बेवा स्व. हुसैन मोहम्मद, जाति मुसलमान,
निवासीगण ककरावदा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6.इमामुद्दीन,निजामुद्दीन,अयूबसलाम पुत्र **आसीन**(पुत्र स्व.हुसैन मोहम्मद)
भंवरी, खेरून, गुलशन पुत्रियां स्व. **आसीन** (पुत्र स्व. हुसैन मोहम्मद)
छोटा बाई बेवा स्व. **आसीन** (पुत्र स्व. हुसैन मोहम्मद)
निवासीगण इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
7.जाकीर, रफीक पुत्र माता स्व. **जेतून** (पुत्री स्व. हुसैन मोहम्मद)
समीम,सकीला,भूरी, पुत्रियां माता स्व. **जेतून** (पुत्री स्व. हुसैन मोहम्मद)
निवासीगण ककरावदा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश कुमार वर्मा, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी हुसैन मोहम्मद आ. रमजानी निवासी कांकरामेज, तहसील इन्द्रगढ को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 252 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा एवं 253 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा, किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम कांकरामेज आवंटन आदेश

दिनांक 18.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई। आवंटी हुसैन मोहम्मद की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से सुन्या पुत्र स्व. हुसैन मोहम्मद, रमजीबाई बेवा स्व. हुसैन मोहम्मद, समीम पुत्री स्व. जेतुन, भूरी पुत्री स्व. जेतुन के विरूद्ध दिनांक 01.6.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहसं के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज हुसैन मोहम्मद को दिनांक 18.11.1975 को आवंटन की गई थी, आवंटन कमेटी की कोरम पूर्ण नहीं होने पर भी विधि विपरित आवंटन कर दिया गया। आवंटन आदेश में केवल सरपंच एवं तहसीलदार के ही हस्ताक्षर है।, कोरम के अभाव में किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटी हुसैन मोहम्मद आ. रमजानी को उक्त आराजी वर्ष 1975 में आवंटित हुई थी, तब से ही उक्त आवंटित भूमि पर वह गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड है। गैर खातेदार हुसैन मोहम्मद की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी पर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। आवंटी गैर खातेदार को राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी नहीं दी गई है। करीब 35 वर्ष गुजर जाने के बाद प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से गैर खातेदारी की भूमि का आवंटन निरस्त करवाये जाने हेतु कार्यवाही पेश की गई है जबकि इतने पुराने आवंटन को कानूनन खारिज कराने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; ब

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया गया। आवंटी हुसैन मोहम्मद आ. रमजानी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कांकरामेज को मिसल संख्या 671/75 पर दिनांक 18.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 252 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा एवं 253 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम कांकरामेज का आवंटन किया जाना आवंटन पत्रावली से प्रकट है। भू.अभिलेख निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 05.10.2011 एवं संलग्न मौका पर्चा हल्का पटवारी, आई.एल.आर. एवं सरपंच, ग्राम पंचायत बसवाडा के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। तहसीलदार इन्द्रगढ के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार भी आवंटित भूमि हाल खसरा संख्या 556 रकबा 1.74 हैक्टेयर एवं 563 रकबा 1.39 हैक्टेयर पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होकर वर्तमान में मौके पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना एवं कुछ भूभाग पड़त होना अंकित है। आवंटित भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने के संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आवंटी हुसैन मोहम्मद आ. रमजानी मुसलमान निवासी कांकरामेज को मिसल संख्या 671/75 पर दिनांक 18.11.1975 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 252 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा (वर्तमान खसरा सं. 563 रकबा 1.39 हैक्टेयर) एवं 253 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा (वर्तमान ख. सं. 556 रकबा 1.74 हैक्टेयर) किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 07 बिस्वा (कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर) वाकेग्राम कांकरामेज निरस्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर [illegible] दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी